

# अन्नवीर डिजिटल केंद्र

## ग्राम सभा स्तर पर केंद्र संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित

ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं, किसान पंजीकरण एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पत्रांक संख्या- eAnna/2602/580 प्रत्येक ग्राम सभा में “अन्नवीर डिजिटल केंद्र” संचालन के लिए इच्छुक व्यक्तियों/स्थानीय उद्यमियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

**महत्वपूर्ण शर्त:** केवल उन्हीं ग्राम सभाओं के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, जहाँ पूर्व से कोई पंजीकृत ई-अन्नदाता केयर सेंटर अथवा अधिकृत पार्टनर कार्यरत नहीं है। जिन ग्राम सभाओं में पहले से केंद्र संचालित है, वहाँ नया अन्नवीर डिजिटल केंद्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

**पात्रता:** ‘O’ Level / NIELIT / DOEACC या समकक्ष कंप्यूटर प्रमाण पत्र अथवा ITI (COPA / कंप्यूटर / टेक्निकल ट्रेड) या समकक्ष योग्यता कंप्यूटर एवं इंटरनेट संचालन में दक्षता संबंधित ग्राम सभा के निवासी को प्राथमिकता।

**आयु:** 18 से 40 वर्ष

### अन्नवीर डिजिटल केंद्र की जिम्मेदारियाँ:

- किसानों का डिजिटल पंजीकरण।
- स्मार्ट कार्ड वितरण।
- कृषि एवं अन्य डिजिटल सेवाओं से जोड़ना।
- न्यूनतम 3 माह में 3000 किसानों का लक्ष्य पूर्ण करना।
- नियमित केंद्र संचालन एवं रिपोर्टिंग।

### आर्थिक संरचना:

- ₹10,000 रिफंडेबल कार्य-प्रतिबद्धता सुरक्षा राशि देय होगी।
- निर्धारित 3000 किसानों का लक्ष्य पूर्ण किए जाने एवं एजेंसी द्वारा सत्यापन उपरांत, उक्त जमा राशि पर एजेंसी के नियमों एवं शर्तों के अधीन 100% सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- चरणबद्ध लक्ष्य पूर्ण करने की स्थिति में एजेंसी के विवेकानुसार आंशिक प्रोत्साहन/सब्सिडी का प्रावधान लागू किया जा सकेगा।

**प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ:** अधिकृत संचालक प्रमाणपत्र, डिजिटल लॉगिन आईडी, प्रशिक्षण, आधिकारिक पहचान पत्र तथा सेवा-आधारित आय का अवसर।

### ई-अन्नदाता कार्ड एवं विशेष लाभ संबंधी विस्तृत प्रावधान:

- अन्नवीर डिजिटल केंद्र के माध्यम से किसानों का “ई-अन्नदाता कार्ड” एवं “ई-अन्नदाता स्मार्ट कार्ड” बनाया जाएगा। यह कार्ड किसान तथा उनके आश्रित समस्त परिवार सदस्यों के लिए उपलब्ध होगा।
- यह कार्ड भारत के प्रत्येक किसान परिवार को डिजिटल पहचान एवं सुरक्षा कवच प्रदान करता है।
- यह कार्ड किसानों हेतु सेवा-आधारित पंजीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत बनाया जाएगा।
- कार्ड निर्माण हेतु किसानों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- प्रति कार्ड ₹ 27 का भुगतान एजेंसी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अधिकृत अन्नवीर डिजिटल केंद्र संचालक को देय होगा।
- पंजीकृत किसान परिवार को विभिन्न सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी, जिनमें आकस्मिक परिस्थितियों में अधिकतम ₹1,00,00,000 (एक करोड़ रुपये तक) की सुरक्षा सहायता (नियमों एवं शर्तों के अधीन) शामिल है।



- यह व्यवस्था सेवा-आधारित मॉडल पर संचालित होगी, जिसमें पात्र किसान परिवारों को कैंटीन सुविधा जैसी विशेष सेवाएँ भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
- अन्नवीर डिजिटल केंद्र संचालक को किसानों को अन्य संचालित सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर अतिरिक्त सेवा-आधारित लाभ प्राप्त हो सकता है।

#### संभावित मासिक आय (अनुमानित):

- यदि एक अन्नवीर डिजिटल केंद्र संचालक औसतन 3000 किसानों का कार्ड निर्माण करता है:  $3000 \times ₹27 = ₹81,000$
- यदि मासिक रूप से औसतन 800-1000 नए कार्ड बनाए जाते हैं:  $900 \times ₹27 = ₹24,300$  प्रति माह (औसत, न्यूनतम)

#### इसके अतिरिक्त:

- डिजिटल सेवा शुल्क आधारित आय तथा अन्य योजनाओं से सेवा प्रोत्साहन
- कैंटीन सेवा मॉडल से आय
- चरणबद्ध लक्ष्य प्रोत्साहन

इस प्रकार अन्नवीर डिजिटल केंद्र संचालक के लिए यह मॉडल सेवा के साथ-साथ सम्मानजनक आय का अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रीय विस्तार, निरंतर कार्य एवं नवीनीकरण संबंधी प्रावधान 3000 कार्ड पंजीकरण कोई अधिकतम सीमा नहीं है, बल्कि न्यूनतम सक्रियता मानक (Minimum Performance Benchmark) के रूप में निर्धारित है। कार्ड निर्माण की संख्या पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है; केंद्र संचालक अपनी क्षमता के अनुसार हजारों अथवा लाखों कार्ड तक निर्माण कर सकते हैं। यह योजना निरंतर संचालित रहेगी तथा आय संरचना किसी सीमित संख्या पर निर्भर नहीं है। भारत में अनुमानित 13-14 करोड़ कृषक परिवार हैं, जिनके आश्रित सदस्यों सहित संभावित लाभार्थियों की संख्या लगभग 60-70 करोड़ तक हो सकती है।

#### उद्देश्य:

- समस्त किसान परिवारों को चरणबद्ध रूप से जोड़ना है; अतः यह दीर्घकालिक राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम है। यह व्यवस्था वर्ष 2047 तक दीर्घकालिक दृष्टि के साथ संचालित किए जाने हेतु संरक्षित है (एजेंसी के नियमों एवं नीतियों के अधीन)। ई-अन्नदाता कार्ड का समय-समय पर KYC सत्यापन आवश्यक होगा, जो सामान्यतः प्रत्येक 3 वर्ष में नवीनीकृत किया जाएगा। प्रत्येक नवीनीकरण/अपडेट प्रक्रिया पर निर्धारित सेवा मानकों के अनुसार अधिकृत अन्नवीर डिजिटल केंद्र संचालक को पुनः सेवा-आधारित भुगतान देय होगा।
- अन्नवीर डिजिटल केंद्र संचालक का अधिकृत दर्जा भी कार्य प्रदर्शन, सक्रियता एवं अनुपालन के आधार पर समय-समय पर नवीनीकृत किया जा सकेगा।
- जो संचालक निरंतर सक्रिय रहेंगे, उनकी आय संरचना भी निरंतर चलती रहेगी और बंद नहीं होगी, क्योंकि योजना सतत विस्तार आधारित है।
- यह रोजगार नियुक्ति नहीं है, बल्कि अधिकृत अन्नवीर डिजिटल केंद्र संचालन का अवसर है।
- एजेंसी को आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत करने, नियमों में संशोधन करने तथा अंतिम निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

आवेदन की अंतिम तिथि: 05 मार्च 2026

संपर्क: 0522-4369188

कार्यालय पता: ई-अन्नदाता कार्यालय, मवैया लखनऊ 226004

\*\*\*\*\*



# ANNAVEER DIGITAL KENDRA

## Applications Invited for Operation of Centers at Gram Sabha Level

For effective implementation of digital services, farmer registration, and government schemes in rural areas, applications are invited from interested individuals/local entrepreneurs for operating “Annaveer Digital Kendra” in each Gram Sabha in Ref No. eAnna/2602/580.

**Important Condition:** Applications will be accepted only for those Gram Sabhas where no registered eAnnadata Care Center or authorized partner is currently operational.No new Annaveer Digital Kendra will be approved in Gram Sabhas where a care center is already functioning.

### Eligibility:

- ‘O’ Level / NIELIT / DOEACC or equivalent computer certification OR ITI (COPA /Computer / Technical Trade) or equivalent qualification.
- Proficiency in computer and internet operationsPreference will be given to residents of the concerned Gram Sabha.

**Age:**18 to 40 years.

### Responsibilities of the Annaveer Digital Kendra:

- Digital registration of farmers.
- Smart card distribution.
- Connecting farmers with agricultural and other digital services.
- To achieve the target of 3000 farmers in minimum 3 months..
- Regular center operation and reporting.

### Financial Structure:

- ₹10,000 refundable work-commitment security deposit shall be payable.
- Upon completion of the prescribed target of 3000 farmers and verification by the organization, 100% subsidy shall be provided on the deposited amount subject to the rules and conditions of the organization.
- In case of phased target completion, partial incentive/subsidy may be granted at the discretion of the organization.

**Facilities Provided:**Authorized operator certificate, Digital login ID, Training, Official identity cardOpportunity for service-based income.

### eAnnadata Card & Special Benefit Provisions:

- Through Annaveer Digital Center, “eAnnadata Card” and “eAnnadata Smart Card” will be issued to farmers.
- This card will be available to the farmer and all dependent family members.
- The objective is to provide digital identity and security coverage to every farmer family in India.
- The card will be created under a service-based registration process.
- No fee shall be charged from farmers for card creation.
- ₹27 per card shall be payable to the authorized Annaveer Digital Kendra as per organizational norms.



- Registered farmer families will be provided various benefits, including security assistance up to ₹1,00,00,000 (One Crore Rupees) in accidental circumstances (subject to terms and conditions).
- The system will operate on a service-based model, including special services such as canteen facilities for eligible farmer families.
- Additional service-based incentives may be earned by connecting farmers with other ongoing government schemes.

**Estimated Monthly Income:**

- If an Annaveer Digital Kendra Operator prepares cards for an average of 3000 farmers:  $3000 \times ₹27 = ₹81,000$
- If on average 800–1000 new cards are prepared per month:  $900 \times ₹27 = ₹24,300$  per month (average, minimum)

**Additionally:**

- Digital service fee-based income
- Service incentives from other schemes
- Canteen service model income
- Phased target incentives

Thus, this model provides service as well as a respectable income opportunity for the Annaveer Digital Kendra operator. Provisions for national expansion, continuous work and renewal. 3000 card registrations is not a maximum limit, but is set as a minimum performance benchmark. There is no upper limit on the number of cards produced; Kendra operators can produce thousands or even lakhs of cards as per their capacity. This scheme will operate continuously and the income structure is not dependent on any limited number. There are an estimated 13-14 crore farmer families in India, whose potential beneficiaries, including dependent members, could be around 60-70 crore.

**Objective:**

- All farmer connect families in a phased manner; hence, this is a long-term national service program. The structure is designed to operate with a long-term vision until the year 2047 (subject to organizational rules and policies). Periodic KYC verification of eAnnadata Cards will be mandatory, generally every 3 years. Service-based payment shall be payable again to authorized Annaveer Digital Kendra operators for each renewal/update process as per defined norms.
- Authorization status of the Annaveer Digital Kendra operator may also be renewed periodically based on performance, activity, and compliance.
- Operators who remain continuously active will continue earning, as the scheme is expansion-based and not time-bound.
- This is not a job appointment; it is an opportunity to operate an authorized Annaveer Digital Kendra.
- The organization reserves the full right to accept or reject applications, amend rules, and take final decisions.

**Last Date of Application:** 05 March 2026

**Contact:** 0522-4369188

**Office Address:** eAnnadata Office, Mavaiya, Lucknow – 226004

